193

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी–अनुभाग)

सं0:एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2013 दिनांक शिमला–2 7, अप्रैल, 2017

## अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस0जे0ई0–बी0–सी0(1)–2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम,2010 के नियम–4(2), 7 तथा नियम 8(2) व (3) में निम्नलिखित संशोधन करतें हैं:–

नियम–4. पात्रताः

चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रतिशतता प्रमाण–पत्र चाहे वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के मूल्यांकन तथा प्रमाणित करने हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बहु–विकलांगता (**multiple-disability**) का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो तथा कुल विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हो, अपंग राहत भत्ता स्वीकृति हेतु मान्य होगा।

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तिओं को बिना किसी आय सीमा के पेंशन प्रदान की जाएगी

नियम–7. पैंशन की भत्ता/दरें:

(i) वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता (40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अक्षम पैंशनर) तथा कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता 1–4–2017 से ₹ 700/– प्रति माह की दर से देय होगा।

(ii) 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध पैंशनरों को 1–4–2017 से ₹ 1250/– प्रति माह की दर से बिना किसी आय सीमा की शर्त के पैंशन दी जाएगी।

(iii) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम पैंशनरों को अपंग राहत भत्ता 1–4–2017 से ₹ 1250/– प्रति माह की दर से बिना किसी आय सीमा की शर्त के देय होगा।

जारी/––

<u>नियम-8 (2) व (3): वृद्धावस्था पैंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन, अपंग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रियाः-</u>

80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति/प्रार्थी, 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति तथा मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र/दस्तावेज/ चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा वचनबद्धता (**undertaking**) की प्रति सीधे सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

आदेश द्वारा,

अनुराधा ठाकुर
प्रधान सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला-2 7, अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट वुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-171001
8. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
10. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0, शिमला-2
11. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला-171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।